तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/टी0ए0/3468/2006/बीकानेर** **मोटाराम बनाम लालूराम व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

खण्डपीठ
श्री रामनिवास जाट, सदस्य
श्री गणेश कुमार, सदस्य

उपस्थित
श्री जे0के0 पंत, अभिभाषक अपीलांट
श्री एस0पी0 सिंह अभिभाषक रेस्पो0 संख्या 1
श्री भींयाराम चौधरी, अभिभाषक रेस्पो0 संख्या 5
शेष रेस्पो0 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

दिनांक– 29.11.2023

निर्णय

यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर दिनांक 28.02.2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पो0/वादी ने एक वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नोखा के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि विवादित आराजी उसके पिता नानुराम की खातेदारी की भूमि थी। नानुराम के स्वर्गवास हो जाने के पश्चात विवादित आराजी उसके वारिसों के नाम जरिये नामांतरकरण संख्या 1164 द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दी गई। जमाबंदी संवत 2053–58 में विवादित आराजी अपीलांट/प्रतिवादी एवं रेस्पो0/वादी संख्या 1 से 6 के 1/5–1/5 हिस्से दर्ज हुई। रेस्पो0 संख्या 5 मु0 चतरी बेवा लिछमण राम ने अपना हिस्सा दिनांक 01–02–1999 को जरिये रजि0 बेयनामा मोटाराम के हक में कर दिया। वादी लालुराम ने वाद कारण यह बताया कि मु0 चतरी ने मौखिक इकरारनामें के आधार पर अपना 1/5 हिस्सा हस्तांतरित होना कहा है। वादी ने अपना वाद कारण बताया कि लंबे समय से विवादित आराजी पर कब्जा काश्त करता आ रहा है। इसलिये एडवर्स पजेशन के आधार पर वादी को खातेदार घोषित किया जावे एवं प्रतिवादी द्वारा किया गया बेचान शुन्य माना जाये। अपीलांट /प्रतिवादी द्वारा वाद का

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/टी0ए0/3468/2006/बीकानेर** **मोटाराम बनाम लालूराम व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन किया कि विवादित आराजी का प्रतिवादी सहकाश्तकार दर्ज है। तथा उसने मु0 चतरी से 1/5 हिस्सा रजि0 बैयनामें के आधार पर क्रय किया है इस कारण उसे 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाये। परीक्षण न्यायालय ने दावा, जवाबदावा एवं काउन्टर क्लेम का परीक्षण करते हुये तनकीयात कायम की एवं तनकीयात के आधार पर वादी का वाद खारिज कर दिया एवं अपीलांट/प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम स्वीकार करते हुये अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15-05-2003 से उसे विवादित आराजी में 3/5 हिस्से की बंटवारें की डिक्री पारित कर दी। परीक्षण न्यायालय के उक्त निर्णय के विरूद्ध रेस्पो0 ने एक अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के समक्ष पेश की जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 28-02-2006 से स्वीकार करते हुये प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, नोखा को प्रतिप्रेषित कर दिया। अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है। उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस अपील में सुनी गयी । विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय नियम एवं रिकॉर्ड के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि वादी/रेस्पो0 द्वारा कब्जा मुखालफाना एवं मौखिक इकरारनामें के आधार पर अनुतोष चाहा है तथा मुख्य रूप से बैयनामा को प्रभाव शुन्य करने का अनुतोष चाहा है। परंतु वादी/रेस्पो0 द्वारा इन दस्तावेजों के संबंध में ना तो कोई साक्ष्य प्रस्तुत की है और ना ही वादपत्र में कहे गये कथनों की पुष्टि के लिये कोई मौखिक साक्ष्य पेश किया गया। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि वादी/रेस्पो0 द्वारा चाहा गया अनुतोष राजस्व	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/टी0ए0/3468/2006/बीकानेर** **मोटाराम बनाम लालूराम व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से बाहर है। बैयनामों को शुन्य घोषित करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है। परीक्षण न्यायालय ने इसी आधार पर वादी का वाद खारिज किया था जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने विधि विरूद्ध निर्णय से अपास्त कर दिया जो निरस्तनीय है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि वादी/रेस्पो0 द्वारा अपीलांट/प्रतिवादी के काउन्टर क्लेम का कोई भी जवाब पेश नहीं किया गया। आदेश 8 नियम 10 सी0पी0सी0 के प्रावधानों के अनुसार अपीलांट/प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम स्वतः ही प्रमाणित था। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि वादी/रेस्पो0 द्वारा अपीलांट/प्रतिवादीगण का पूर्व से कब्जा काश्त ना होने के संबंध में कोई भी साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया। परीक्षण न्यायालय ने प्रकरण का पूर्ण परीक्षण कर तनकीयात कायम करके अपना विधिसम्मत निर्णय से वादी/रेस्पो0 का वाद खारिज किया था जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपास्त कर दिया जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अपास्त करने का निवेदन किया। विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने अपनी बहस में तर्क दिया कि रेस्पो0/वादी ने परीक्षण न्यायालय में धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत वाद पेश किया था एवं अपीलांट/प्रतिवादी ने जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया था। परन्तु परीक्षण न्यायालय ने वाद में पक्षकारों के अभिकथनों के आधार पर तनकीयात कायम नहीं की और ना ही उन्हें साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। केवल अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम के आधार पर तनकीयात कायम कर अपने विधि विरूद्ध आदेश से वादी/रेस्पो0 का वाद खारिज कर दिया। जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपास्त करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलांट/प्रतिवादी ने	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/टी0ए0/3468/2006/बीकानेर** **मोटाराम बनाम लालूराम व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खरीद के आधार पर विवादित आराजी पर अपना हक माना है जबकि खरीदने के बाद भी वो एक अजनबी (Stranger Person) की श्रेणी में थे तथा विवादित आराजी पर उनका कभी भी भौतिकरूप से कब्जा नहीं है। विवादित आराजी एक स्वअर्जित संपत्ति है। स्वअर्जित संपत्ति के मालिक के जीवित रहते हुये इसकी सम्पति का बंटवारा नहीं किया जा सकता। प्रतिवादी/रेस्पो0 का भूमि पर कब्जा नहीं है इसलिए उसके पक्ष में खातेदारी घोषण नहीं की जा सकती। परन्तु परीक्षण न्यायालय ने अपने विधि विरूद्ध निर्णय से प्रतिवादी/रेस्पो0 को 3/5 हिस्से का खातेदारी घोषित कर दिया। जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपास्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि परीक्षण न्यायालय ने द्वारा वादपत्र में किये गये अभिकथनों एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा एवं काउन्टर क्लेम में किये गये अभिकथनों पर विवाधक का निर्धारण किये बिना ही अंतिम बहस सुनकर वादपत्र एवं काउन्टर क्लेम का निस्तारण कर दिया जबकि उन्हें आदेश 10 नियम 2 सी0पी0सी0 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुये दावा, जवाबदावा एवं काउन्टर क्लेम पर पक्षकारों की सुनवाई करने के उपरांत तनकीयात कायम करनी चाहिए थी एवं प्रत्येक तनकी का पृथक–पृथक निर्णय पारित करना चाहिए था। परन्तु परीक्षण न्यायालय ने दावे में ना तो चाहे गये अनुतोष के आधार पर तनकीयात कायम की और ना ही उन पर पृथक–पृथक निर्णय पारित किया गया। इस आधार पर भी परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्तनीय था जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय से अपास्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि आदेश 14 नियम 1 सी0पी0सी0 में स्पष्ट प्रावधान है कि जंहा पक्षकारों के मध्य विवाद हो तो न्यायालय को उन विवादों पर तनकीयात कायम करने चाहिए थी एवं उस पर पक्षकारों को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात ही दावे का निस्तारण करना चाहिए। परन्तु परीक्षण न्यायालय ने उक्त	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/टी0ए0/3468/2006/बीकानेर** **मोटाराम बनाम लालूराम व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रावधान के विरूद्ध जाकर अपना निर्णय पारित किया। जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपास्त करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को विधिसम्मत बताते हुये प्रस्तुत अपील को खारिज करने का निवेदन किया। हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का गहनता से परीक्षण किया। अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर ने अपने निर्णय में अंकित किया है कि :– '' इस प्रकार स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादी द्वारा वादपत्र में किये गये अभिकथनों एवं प्रतिवादी द्वारा जवाबदावा एवं काउन्टर क्लेम में किये गये अभिकथनों पर विवाधक का निर्धारण किये बिना ही अंतिम बहुत सुनकर वादपत्र एवं क्लेम का निस्तारण कर दिया गया । यहां यह एक तथ्य है कि अंतिम बहस सुनने से पूर्व तक योग्य पीठासीन अधिकारी ने कोई विवाधक बिन्दु कायम नहीं किये किन्तु अपीलाधीन निर्णय में अधीनस्थ न्यायालय के योग्य पीठासीन अधिकारी ने अवश्य तीन विवाद बिन्दु कायम किये हैं, जिन्हें व्यवहार प्रक्रिया संहिता में विवाद्यक बिन्दु निर्धारित करने की जो प्रक्रिया दी हुई है उसके अनुरूप नहीं माना जा सकता। व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 14 नियम 1 उपनियम 5 में यह है कि न्यायालय वाद की प्रथम सुनवाई में वादपत्र को और यदि कोई लिखित कथन हो तो उसे पढ़ने के पश्चात् और आदेश 10 के नियम 2 के अधीन परीक्षा करने के पश्चात् तथा पक्षकारों या उनके प्लीडरों की सुनवाई करने के पश्चात् यह अभिनिश्चित करेगा कि तथ्य की या विधि की किन वास्तविक प्रतिपादनों के बारे में पक्षकारों में मतभेद है और तब वह उन विवाद्यको की विरचना और अभिलेखन करने के लिये अग्रसर होगा जिनके बारे में यह प्रतीत होता है कि मामले का ठीक विनिश्चय उन पर निर्भर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/टी0ए0/3468/2006/बीकानेर** **मोटाराम बनाम लालूराम व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

करता है। हमारे समक्ष विचाराधीन इस हस्तगत प्रकरण में इन प्रावधानों की कोई पालना नहीं की गयी है। माननीय राजस्व मंण्डल राजस्थान अजमेर की खण्डपीठ ने 'मनीराम बनाम यासीन खां एवं अन्य' 1999 आर0आर0डी0 पेज 509 में डिप्टी कलेक्टर (जागीर), हनुमानगढ द्वारा कोई तनकी कायम न कर सीधे ही वादी व प्रतिवादी की साक्ष्य दर्ज कर प्रकरण का निस्तारण किये जाने को उचित नहीं माना और प्रकरण पुनः निस्तारण के लिये रीमाण्ड किया गया है। हमारे समक्ष हस्तगत विचाराधीन प्रकरण में भी उपखण्ड अधिकारी, नोखा ने कोई तनकी कायम न कर सीधे ही वादी व प्रतिवादी की साक्ष्य के लिये प्रकरण को निश्चित करते हुए निस्तारण कर दिया जो उक्त दृष्टान्त के प्रकाश में पुष्टि योग्य नहीं है क्योंकि व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 14 नियम 1 में स्पष्ट प्रावधान है कि जहां पक्षकारान के मध्य विवाद हो तो न्यायालय हमारे समक्ष को उन विवादों पर विवाधक विन्दु कायम करने चाहिये।''

इस प्रकार इस अपील में वर्णित समस्त तथ्यों का पूर्ण विवेचन व विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय में वादग्रस्त भूमियों के संबंध में उभयपक्ष के मध्य एक वाद अंतर्गत 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 का विचाराधीन चल रहा था। उक्त विचाराधीन वाद में प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा एवं काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया था। जब परीक्षण न्यायालय में विचाराधीन वाद में जवाबदावा एवं काउन्टर क्लेम पेश किया गया हो तो उस स्थिति में सी0पी0सी0 के आदेश 14 नियम 1 सी.पी.सी. के प्रावधान लागू होते है। उक्त विधिक प्रावधान में इस प्रकार अभिनिर्धारित किया गया है :-

आदेश 14 नियम 1 सी0पी0सी0 में वर्णित किया गया है कि :-

'' **Framing of issues.** - (1) Issues arise when a material proposition of fact or law is affirmed by the one party and denied by the other.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/टी0ए0/3468/2006/बीकानेर** **मोटाराम बनाम लालूराम व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

(2) Material propositions are those propositions of law or fact which a plaintiff must allege in order to show a right to sue or defendant must allege in order to constitute his defence.
(3) Each material proposition affirmed by one party and denied by the other shall form the subject of a distinct issue.
(4) Issues are of two kinds :
(a) issues of fact; and
(b) issues of law.
(5) At the first hearing of the suit the Court shall, after reading the plaint and the written statements, if any, and '[after examination under Rule 2 of Order X and after hearing the parties or their pleaders] ascertain upon what material propositions of fact or of law the parties are at variance, and shall thereupon proceed to frame and record the issues on which the right decision of the case appears to depend.
(6) Nothing in this rule requires the Court to frame and record issues''

उक्त विधिक प्रावधानों के अनुसार परीक्षण न्यायालय को दावे एवं जवाबदावे के आधार पर विवाद्यक कायम कर उसके संबंध में उभयपक्षों को लिखित एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने के उपरांत ही प्रकरण का गुणावगुण पर अंतिम निर्णय करना चाहिये।

प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओं के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी का जवाबदावा आने के पश्चात दिनांक 29-08-2002 को पत्रावली वास्ते तनकी नियत की गई थी। लेकिन तनकी नहीं बनाई गई और बरवक्त निर्णय तीन तनकियां बनाई जाकर तनकीवार विनिश्चय किया गया है। जबकि आदेश 14 नियम 1 सी0पी0सी0 के तहत जब तनकी बनाई जाती है तो पक्षकारों को साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया जाना आवश्यक है लेकिन इस प्रकरण में बहस सुनी जाने के पश्चात तनकी विरचित करते हुये और उन्हीं के आधार पर निर्णय किया गया है जो विधिसम्मत नहीं है।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/टी0ए0/3468/2006/बीकानेर** **मोटाराम बनाम लालूराम व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	इस प्रकार परीक्षण न्यायालय द्वारा उक्त आज्ञापक प्रावधानों की उनके यहां विचाराधीन वाद में पालना की जानी आवश्यक थी परंतु परीक्षण न्यायालय द्वारा वाद के निर्णय में इनकी पालना नहीं की गई है। इस स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है। परीक्षण न्यायालय का निर्णय दिनांक 15–05–2003 अपास्त योग्य होने से अपास्त किया जाता है एवं अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28–02–2006 यथावत रखा जाता है। उभयपक्ष अग्रिम कार्यवाही हेतु परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नोखा के समक्ष दिनांक 16–01–2024 को पेश हो। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(गणेश कुमार)** **सदस्य** **(रामनिवास जाट)** **सदस्य**	